

राजस्थान - सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 73

दिनांक : 06/03/2024

-: आदेश :-

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० अमित कुमार	11.07.1989	15.10.2015	पीएसएम	18.01.24 से 17.01.27

आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० देवराज सिंह राजपुरोहित	01.11.1989	27.03.2020	टीबी एण्ड चैस्ट	03.11.23 से 02.11.26
2	डॉ० भूरसिंह मीना	03.11.1993	29.08.2018	रेडियोथैरेपी	01.11.23 से 31.10.26
3	डॉ० योगेश उपाध्याय	29.03.1989	25.03.2015	पीएसएम	01.11.23 से 31.10.26
4	डॉ० अभिषेक बागडिया	21.01.1986	13.02.2015	पीएसएम	01.11.23 से 31.10.26
5	डॉ० जितेन्द्र कुमार शर्मा	05.01.1986	01.08.2013	एनाटोमी	01.11.23 से 31.10.26
6	डॉ० प्रवीण गरासिया	21.04.1984	16.02.2015	स्त्री एवं प्रसूति रोग	22.11.23 से 21.11.26
7	डॉ० महावीर सिंह भाटी	09.08.1987	17.01.2014	निश्चेतन	01.11.23 से 31.10.26
8	डॉ० गोविन्द सिंह गरासिया	02.06.1990	16.08.2018	निश्चेतन	23.11.23 से 22.11.26
9	डॉ० राजेश कुमार बिराणिया	15.10.1988	09.09.2013	मनोचिकित्सा	01.11.23 से 31.10.26

उक्त आदेश के पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।
उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 06/03/2024

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/ 73
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5956306

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :05-03-2024 04:59:24